

भाग- II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

परियोजना/स्कीम का स्थान

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या.....

जनपद रुद्रप्रयाग के वि०ख० जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत टिहरी-घनसाली-तिलवाडा मोटर मार्ग के फतेहू से रा०इ०का० बुढना होते हुए नगेला-भैट-एकलिग-कण्डवालगांव सुनारगांव धुराणगांव होते हुए धान्यों तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड
ii)	जिला	रुद्रप्रयाग।
iii)	वन प्रभाग	रुद्रप्रयाग
iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (है० में)	3.500 है०
v)	वन की कानूनी स्थिति	0.0000 है० सिविल सोयम भूमि 1.7500 आरक्षित वन भूमि 0.3500 है० नाप भूमि 0.0000 वन पंचायत भूमि 0.1124 है० नापभूमि मलवा निस्तारण
vi)	हरियाली का घनत्व	0.001
vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ०आर०एल० - 8 मी० पर परिगणना भी संलग्न किए जाए	सूची में संलग्न है।
viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	भूक्षरण की सम्भावना नहीं है।
ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	1.00 किमी०
x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयाँ अनुबन्धित की जाए)	नहीं
xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ /संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है यदि हां/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	नहीं
xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या	नहीं।
8-	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	प्रस्तावित मार्ग हेतु दो संरक्षण उपलब्ध है।
9-	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी	लागू नहीं

अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चह रहे हैं।

10- प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:-

- i. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।
- ii. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।
- iii. रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि।
- iv. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।
- v. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)।

संलग्न

संलग्न है।

संलग्न है।

संलग्न है।

संलग्न

11- जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)

संलग्न है।

12- प्रभाग/जिला प्रोफाइल

वन प्रभाग रुद्रप्रयाग।

i. जिला का भौगोलिक क्षेत्र।

1984 वर्ग किमी०

ii. जिला का वन क्षेत्र।

1790.995 वर्ग किमी०

iii. मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र।

163 मामले

iv. 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण

606.979 हे० 21

(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि

~~1158.614 हे०~~

(ख) वनेत्तर भूमि पर

1158.614 हे०

v. 2017 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति

(क) वन भूमि पर

(ख) वनेत्तर भूमि पर

13- प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।

संबन्धित विकास कार्य से प्रकरण जनहित से सम्बन्धित है। अतः जनहित में सिफारिश की जाती है।

दिनांक.....

स्थान-रुद्रप्रयाग

उप-प्रभागीय वन अधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

हस्ताक्षर

नाम

सरकारी मोहर

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग